रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1535] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2014/श्रावण 3, 1936
No.1535] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2014/SHRAVANA 3, 1936

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2014

का. आ. 1903(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्राालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ), तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश सं. का. आ. 1156(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2014 राजपत्र अधिसूचना के क्रम संख्या 153 से सम्बन्धित अनुसूचित विनिर्मिति एनालाप्रिल मेलिऐट 5 मिग्रा. गोलियां के अधिकतम मूल्य को जारी करके संतुष्ट है और इसलिए आदेश सं. का. आ. 1750(अ), तारीख 10 जुलाई, 2014 राजपत्र अधिसूचना के क्रम संख्या 2 असाधारण में प्रकाशित एनालाप्रिल 5 मिग्रा. गोलियां से सम्बन्धित है, को तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाता है।

[कां. सं./148/2014/वि/फा. सं0 23(1)/2014/डिवी.III/एनपीपीए]

इन्जेटी श्रीनिवास, अध्यक्ष

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICALS PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 25th July, 2014

S.O. 1903(E).—In exercise of the powers, conferred by Paragraph 19 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO, 2013) read with S.O. 1394(E), dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority being satisfied that the ceiling price in respect of scheduled formulation Enalapril Maleate 5 mg. Tablets has been notified at Serial No. 153 of the Gazette Notification No. S.O. 1156(E), dated 28.04.2014 and therefore, withdraw price fixed at Sr. No. 2 relating to Enalapril 5 mg. Tablets in the Gazette Notification No. S.O. 1750(E), dated 10.07.2014 under para 19 of the DPCO, 2013, with immediate effect.

[PN/148/2014/F/F. No. 23(1)/2014/Div-III/NPPA]

INJETI SRINIVAS, Chairman

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2014

का. आ. 1904(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ), तारीख 30 मई, 2013 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश सं. का. आ. 1156(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2014 राजपत्र अधिसूचना के क्रम संख्या 195 से सम्बन्धित अनुसूचित विनिर्मिति हेपारिन सोडियम 5000 आईयू/मिलि इन्जेक्शन के अधिकतम मूल्य को जारी करके संतुष्ट है और इसलिए आदेश सं. का. आ. 1755(अ), तारीख 10 जुलाई, 2014 राजपत्र अधिसूचना, असाधारण में प्रकाशित हेपारिन 25000 आईयू इन्जेक्शन से सम्बन्धित है, को तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाता है।

[कां. सं./148/2014/वि/फा. सं. 23(1)/2014/डिवी.III/एनपीपीए]

इन्जेटी श्रीनिवास, अध्यक्ष

ORDER

New Delhi, the 25th July, 2014

S.O. 1904(E).—In exercise of the powers, conferred by Paragraph 19 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 (DPCO, 2013) read with S.O. 1394(E), dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority being satisfied that the ceiling price in respect of scheduled formulation Heparin Sodium injection 5000 IU/ml has been fixed/ notified at Serial No. 195 of the Gazette Notification No. S.O. 1156(E), dated 28.04.2014 and therefore, withdraw the Gazette Notification No. S.O. 1755(E), dated 10.07.2014 issued for price fixation of Heparin 25000IU injection under para 19 of DPCO, 2013, with immediate effect.

[PN/148/2014/F/F. No. 23(1)/2014/Div-III/NPPA]

INJETI SRINIVAS, Chairman

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.